ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
ISSN No.: 2347-2944, RNI:UPBIL04292,REG.No.:561/2013-14 Vol.-I, No.-1, PP-42-45, YEAR 2013

पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं की भूमिका

❑ अर्चना श्रीवास्तव

भारत सरकार ने 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992—93 द्वारा पंचायतीराज व्यवस्था के माध्यम से लोकतांत्रीय व्यवस्था को मजबूत बनाने का महत्वपूर्ण प्रयास किया है। इसकी सर्वाधिक महत्व की बात यह है कि पंचायत के तीन स्तरों पर समाज के कमजोर वर्गों, महिलाओं, अनुसूचित जातियों, जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गयी जो निश्चित रूप से युगांतकारी है। क्यों कि भारतीय सामाजिक परिवेश मे यही वर्ग सर्वाधिक भाोशण, वंचनाओं एवं वर्जनाओं तथा उपेक्षाओं का शिकार रहा है। भारत की लगभग आधी आबादी महिलाओं की है। परन्तु हमारे सामाजिक ढाचें में महिलाओ की स्थिति अधिक अच्छी नहीं रही है, उन्हें समाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनैतिक, शैक्षिक परिवारिक इत्यादी स्तरों पर अनेकों अधिकारों एवं सुविधाओं से वंचित होना पड़ा है। कई सारे निर्योग्यताओं का सामना भी करना पड़ा है। फलस्वरूप आज भी ग्रामीण महिलाएं संकोच एवं कुण्ठा से ग्रस्त है। यद्यपि संवैधानिक तौर पर उन्हें पुरूशों के समान अधिकार प्राप्त है। परन्तु शिक्षा का अभाव, जागरूकता की कमी दबी हुई मानसिकता, निर्भरता की प्रवृत्ति, महिलाओं के प्रति परम्परावादी सामाजिक सोच, पुरूशवादी मानसिकता, सामाजिक व्यवस्था इत्यादि के कारण अभी भी पंचायतों में पुरूशों का वर्चस्व बना हुआ है।

इस प्रकार पंचायतों ने महिलाओं की स्थिति सुदृढ़ बनाने एवं उनकी भागीदारी बढ़ाने के लिए किये जाने वाले तमाम सरकारी एवं कानूनी प्रयास तभी कारगर सिद्ध हो सकते हैं जब समाज की सम्पूर्ण सोच, रवैया, पूर्वाग्रह एवं मान्यताओं में भी बदलाव लाया जाय, और इसके लिए जब तक होंगी उनमे शिक्षा एवं नेतृत्व क्षमता नहीं विकसित होगी, वें अपनी सक्रिय सहभागिता नहीं निभाएंगी तब तक राश्ट्र का सर्वांगीण विकास सम्भव नहीं है। इस सन्दर्भ मे पं0 जवाहर लाल नेहरू का कथन उपयुक्त है कि ''यदि जनता मे जागृति पैदा करनी है तो पहले महिलाओं में जागृति पैदा करो।'' महिला किसी भी देश की सामाजिक चेतना है। स्वतंतत्रता से पूर्व और पश्चात भारत देश में शिक्षा प्रसार तथा सामाजिक, आर्थिक समानता प्रदान करने व उन्हें स्वावलम्बी बनाने के लिए भाासकीय व स्वैच्छिक संस्थाओ द्वारा प्रयास किये जाने के बावजूद भी अशिक्षित व पराधीन होने के कारण स्त्रियों की निम्न स्थिति बनी हुई है। बच्चों के समुचित विकास करने, सुसंस्कृत करने व संस्कारित करने में व समाज के संतुलित विकास मे महिलाओ की महत्वपुर्ण भूमिका होती है। इसी उद्देश्य को लेकर वर्श 1964 में सामाजिक कल्याण मंत्रालय बनाया गया जिसे 1979 में एक पूर्ण मंत्रालय का दर्जा दिया गया। 10 वर्श 1984 के सामान्य चुनाव के बाद नई सरकार बनने बाद समाज कल्याण विभाग का पुनः नामकरण समाज और महिला कल्याण मंत्रालय के रूप मे दिया गया। विभाग यें दो ब्यूरों है — पौश्टिक भोजन और बाल विकास, महिला कल्याण और विकास, महिलाओं के लिए सामाजिक आर्थिक योजनायें प्रशिक्षण तथा सेवा नियोजन योजनाएं, प्रौढ़ महिलाओं को शिक्षा विभिन्न पाठयक्रम आदि वे प्रयास है जिनके द्वारा महिलाओ को आर्थिक स्वतन्त्रता ही नहीं अपितु उनके जीवन की गुणवत्ता को भी उठाया जायेगा। वर्श 1975 में अन्तर्राश्ट्रीय महिला वर्श व वर्श 1975—85 तक अन्तर्राश्ट्रीय महिला दशक बनाया गया। इसके अर्न्तगत महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम प्रारम्भ कर उनकी समस्याओं व

शोध छात्रा, सतीश चन्द्र पी0जी0 कॉलेज बलिया (उ0प्र0) भारत

करने के लिए 15 अगस्त 1986 को महिला एवं विकास संचालनालय का गठन किया गया। प्रारम्भ मे यह विभाग पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग के अर्न्तगत था, बाद मे इसके महत्व को देखते हुए वर्श 1988 मे पृथक से ''महिला एवं बाल विकास विभाग'' का गठन किया गया।

वास्तव मे पंचायती राज व्यवस्था केवल वर्तमान प्र ाासन तंत्र का केन्द्र अथवा राज्य से गांव तक का विस्तार ही नहीं है, बल्कि यह सामाजिक समानता, न्याय, आर्थिक विकास और व्यक्ति की प्रतिश्ठा पर आधारित ग्रामीण जीवन का नया क्लेवर देने का एक सामूहिक प्रयास भी है। लोकतंत्र का लक्ष्य यदि लोगों के द्वारा लोकहित मे भाासन मे सबकी भागीदारी सुनिि चत करना भी लोकतत्रं का एक अनिवार्य एवं आव यक भार्त है। यद्यपि संविधान ने समाज के पिछड़ों, दलितों एवं महिलाओं के लिए अवसर के द्वारा पहले से ही खोल रखे हैं। परन्तु सामाजिक असमानता एवं विद्वे ा की भावना ने इन अवसरों को घेर रखा है, जो एक दुर्भाग्य पुर्ण विरासत है। अतः इस स्थिति से छुटकारा पाने के लिए आरक्षण की आव यकता महसूस की गयी ताकि सामाजिक बंदि ों समाप्त हो जाय और समाज का यह वंचित वर्ग दे ा के सामाजिक आर्थिक एवं राजनैतिक जीवन में पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से अपनी भूमिका निभाने मे सफल हो सकें।

संविधान ने समाज के पिछड़ों एवं महिलाओ के लिए अवसर प्रदान करने का प्रयास किया है। परन्तु सामाजिक असमानता एवं विद्वे ा की भावना ने इन अवसरों को प्राप्त करने में अनेक बाधायें उत्पन्न की है। इस स्थिति से छुटकारा पाने के लिए आरक्षण की आव यकता महसूस की गयी, ताकि सामाजिक बंदि ों समाप्त हो और समाज का यह वंचित वर्ग दे ा के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक जीवन मे पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से अपनी भूमिका निभाने में सफल हो सके। चूंकि भारतीय समाज प्रजातांत्रिक व्यवस्था पर आधारित समाज है इसलिए भारतीय प्रजातंत्र में महिलाओं की प्रजातांत्रिक व्यवस्था को गति प्रदान करने के लिए एवं दे ा की आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाली महिलाओं को सक्रिय रूप से सहभागी बनाने के लिए अत्यन्त आव यक है और यह कदम प्रजातांत्रिक व्यवस्था के वास्तविक उद्दे य को प्राप्त करने के दृश्टिकोण से ही आव यक नहीं है, बल्कि महिलाओं को राजनीतिक रूप से उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने एवं सहभागी बनाने के लिए भी आव यक है।

भारत वर्श में पंचायतों की व्यवस्था यद्यपि बहुत पहले से चली आ रही है लेकिन उनमें महिलाओ की सहभागिता लगभग नगण्य थी। स्वतंत्रता के प चात भी पंचायतों मे महिलाओं को सामान्यतः चुनाव के बजाय मनोनीत करके प्रतिनिधित्व दिया गया था जिसके कारण दे ा की लगभग आधी आबादी की इन संस्थाओं में सक्रिय भागीदारी नहीं हो पा रही थी। महिला प्रतिनिधियों के साथ धीरे–धीरे महिलाओं की भूमिका स्वतंत्र रूप से अपने अस्तित्व को ग्रहण करने का प्रयास कर रही है, लेकिन इसके लिए ि ाक्षा का व्यापक प्रचार तथा प्रसार आव यक है जिसमे व्यवस्था से अपेक्षित लाभ प्राप्त किया जा सके। ि ाक्षा समाजिक तथा राजनीतिक जागरूकता लाने का सबसे स ाक्त माध्यम है। जहां तक महिलाओं मे साक्षरता की कमी का प्र न है इसके लिए प्रौढ़ ि ाक्षा कार्यक्रम द्वारा उन्हें ि ाक्षित किया जा सकता है ताकि वें अपने उत्तरदायित्वों को पूरा कर सके। इसके लिए सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाओं की सहायता से लक्ष्य प्राप्ति की जा सकती है। लेकिन साक्षरता दर बढ़ाने के साथ–साथ ग्रामीण ि ाक्षा की अवधारण का विकास किये जाने की भी आव यकता है। ि ाक्षा केवल अक्षरज्ञान तक सीमित अथवा किताबी न हो वरन् उसमें भौगोलिक, पर्यावरणीय वि ाश्टता तथा जैव विविधता के संरक्षण की अवधारणा का भी प्रचार किया जा सकता है। महिलाओं के ि ाक्षित होने की स्थिति में पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने मे कठिनाइयां कम होंगी तथा महिलाओं की ि ाक्षा पर भी सकारात्मक प्रभाव

महिला सहभागिता के आधार को व्यापक बनाने तथा उसमें गुणात्मक परिवर्तन के लिए महिलाओं को आर्थिक आधार पर भी आत्मनिर्भर बनाना होगा। राजनीतिक स ाक्तीकरण के लिए आर्थिक रूप से संगठित होना भी आव यक है। इसके लिए स्वयं सहायता समूह तथा महिला मण्डल द्वारा महिलायें आर्थिक रूप से स ाक्त हो सकती है।

व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रि ाक्षण भी आव यक है। जब तक महिलाओं को सम्पूर्ण व्यवस्था की जानकारी भली प्रकार नहीं होगी तब तक वे अपने कार्यों को सुचारू रूप से करने में सक्षम नहीं होंगी। पंचायतों में कार्यरत महिलाओं को समय–समय पर नये कार्यक्रमों की जानकारी तथा वर्तमान में चालू कार्यक्रमों में उन्हें कितने संसाधन उपलब्ध कराये जा रहे हैं, इसकी जानकारी दी जानी चाहिए। आव यक जानकारियों के अभाव में महिलायें आत्मनिर्णय नहीं ले पाती हैं। पंचायतों की कार्यप्रणाली तथा कार्यक्रमों पर मीडिया तथा पत्र–पत्रिकाओं में अधिक जानकारी दी जानी चाहिए। राजनीतिक स्तर पर अधिकार देने के साथ ही प्र ाासनिक अधिकारियों तथा महिला प्रतिनिधियों के मध्य अच्छे संबंधो का होना आव यक है। नौकर ााही को एकाधिकारवादी रवैया छोड़कर जनसेवक की भूमिका में आना होगा। केवल कानून निर्माण अथवा आरक्षण की सुरक्षा प्रदान करने से ही भाक्ति जनता के हाथ में नहीं पहुंचती, महिला प्रतिनिधियों को अधिकारों, भाक्तियों तथा कर्तव्यों की जानकारी देना चाहिए। आरक्षण लागू होने के प चात् कई लोगों का यह मानना था कि यह स्थिति ''नाम महिला का काम पुरूश का'' होगा। लेकिन यह भी सत्य है कि आमतौर पर नापसंद किये जाने के बावजूद अगर यह आरक्षण लागू हो गया है तो प्रारम्भिक समस्याओं के बाद महिलायें धीरे–धीरे अपना काम स्वतः करने लगेंगी। महिलाओं की भागीदारी को पुख्ता किये बिना सामाजिक बदलाव की कल्पना नहीं हो सकती है।

इस प्रकार अभी महिलाओं के समक्ष अपनी हैं, लेकिन इस व्यवस्था से एक नई चेतना का संचार हुआ है। धीरे–धीरे व्यवस्था में परिवर्तन अव य होगा। इससे संपूर्ण जनता की भागीदारी प्र ाासन के विभिन्न स्तरों पर होगी। पंचायती राज संस्थाओं के साथ महिलाओं का जुड़ना इसी दि ाा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। नेतृत्व को सफल बनाने के लिए महिला प्रतिनिधियों को भी विकास के प्रति समर्पित होना पड़ेगा तथा स्वंय में जागरूकता, स्वनिर्णय तथा स्वावलम्बन के लिए वि ोश प्रयास करने होंगे। न्यायपूर्ण तथा प्रगति ाील समाज के लिए तथा सामाजिक न्याय की प्राप्ति के लिए इस व्यवस्था को जनता का पूर्ण सहयोग मिलना अत्यंत आव यक है।

यह न केवल सरकार वरन् समाज का भी दायित्व है कि महिलाओं को इन जिम्मेदारियों को वहन करने के योग्य बनायें क्यों कि हमारी सामाजिक व्यवस्था तथा ढांचे के कारण महिलायें स्वतंत्र रूप से कार्य करने में सक्षम नहीं है, इसलिए सामाजिक मान्यताओं में बदलाव आव यक है। जिन लोगों का विकास हो रहा है उनकी विकास के निर्णयों में महत्वपूर्ण भूमिका होनी चाहिए। सामाजिक परम्पराओं, दृश्टिकोण एवं मूल्यों में बदलाव के साथ ही यह भी आव यक है कि स्वयं महिलाओं को अपने अस्तित्व एवं स्थिति के प्रति जागरूक होना पड़ेगा तथा अपने आप में आत्मवि वास पैदा करना होगा तभी महिलाओं का सक्रिय योगदान सम्भव हो सकेगा।

स्वतंत्रता के बाद संविधान में महिलाओं के समानता के मौलिक अधिकारों की स्थापना की गयी। 1959 में तीन स्तरीय पचांयती राज व्यवस्था लागू की गई जिसके अनुसार ग्रामीण भाक्ति संरचना एवं विकास में हिस्सेदारी एवं सहभागिता के अवसर सभी के लिए खुल गये। कुछ क्षेत्रों जैसे जाति आधारित भाक्ति संरचना में इसके सकारात्मक परिणाम भी दिखाये गये। संख्याबल एवं ''वयस्क मताधिकार'' के कारण निम्न जातियां भी ग्रामीण भाक्ति–संरचना में स्थान बनाने में सफल रहीं। लेकिन समाज की आधी आबादी–महिला अभी भी सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक बाधाओ के कारण अपना स्थान नहीं बना वां

सकी हैं। महिलाओं से सम्बन्धित राश्ट्रीय समिति की रिपोर्ट ने सुझाव दिया कि निर्णय लेने की प्रक्रिया में महिलाओं की सक्रिय सहभागिता व उन्हें अधिक अवसर प्रदान करने के लिए स्थानीय भाासन (पंचायती राज) की प्रतिनिधि संस्थाओ में उनको वि ोश और अधिकाधिक अवसर प्रदान किये जाये। इस दि ाा में 73वां संविधान सं ाोधन अधिनियम 1992 एक क्रान्तिकारी कदम है, जो महिलाओं को समान राजनीतिक, सामाजिक व आर्थिक अधिकार प्रदान करने के साथ–साथ ग्रामीण भाक्ति संरचना में नीति–निर्माण, निर्णय–निर्माण प्रक्रिया व क्रियान्वयन में उनकी भागीदारी भी सुनि चत करता है। इस अधिनियम के अनुच्छेद 243–घ(3) के अनुसार ‘‘प्रत्येक पंचायत के प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या एक तिहाई से अन्यून स्थान (जिसके अन्तर्गत अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों एवं अन्य पिछड़ा वर्ग की स्त्रियों के लिए आरक्षित स्थानो की संख्या भी है) स्त्रियों के लिए आरक्षित रहेंगे और ऐसे स्थान किसी पंचायत में भिन्न भिन्न निर्वाचन क्षेत्रों को चक्रानुक्रम से आंवटित किये जा सकेंगे। ‘‘इस संविधान सं ाोधन के अनुरूप ही उत्तर प्रदे ा पंचायत विधि (सं ाोधन) अधिनियम 22 अप्रैल 1994 को अस्तित्व मे आया जिसके अनुसार तीन स्तर की संस्थाओ का नाम पंचायत, क्षेत्र पंचायत एंव जिला पंचायत रखा गया। इसी के अनुरूप ग्राम स्तर पर प्रधान, क्षेत्र स्तर पर प्रमुख और जिला स्तर पर जिलाध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। इस प्रकार यह क्रान्तिकारी सं ाोधन अधिनियम महिलाओं को भाक्ति संरचना र्निणय निर्माण प्रक्रिया में भागीदारी के अवसर प्रदान करता है और महिला स ाक्तिकरण की धारणा को मजबूत करता है।

अध्ययन मे पाया गया है कि पंचायती राज संस्थाओ के माध्यम से उपलब्ध अवसरों द्वारा महिलाओं की कार्यक्षमता में बदलाव आया है, कार्य के प्रति गम्भीरता और अपने विचारों को रखने की क्षमता बढ़ी है। परिवार व गांव मे सम्मान बढ़ा है। राजनीतिक जागरूकता में बढ़ोत्तरी हुई है। जिन महिलाओं को घर की चारदीवारी से बाहर सोचने व काम करने का अवसर नहीं मिलता था, आज बुजुर्गों के सामने अपनी राय तक जाहिर नहीं कर सकती थी। आज वें ग्राम पंचायत की अध्यक्षता करती है और निर्णय लेती हैं। यह सही है कि पहली बार राजनीति में प्रवे ा के भाुरू के कुछ दिनों तक वे प्रतीकात्मक भूमिका में रही हैं लेकिन कुछ समय बाद वह निर्णय लेने का आत्मवि वास पा लेती है और उनकी ग्राम पंचायतों में संख्यात्मक सहभागिता धीरे–धीरे गुणात्मक सहभागिता में बदल रही है। अतः स्पश्ट है कि संविधान के 73 वें सं ाोधन अधिनियम के लक्ष्य महिला–स ाक्तिकरण के कदम प्रगति पर हैं।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची :

1. 73वां संविधान सं ाोधन अधिनियम 1992।
2. मनिकीम्बा पी. वुमेन इन पंचायती राज– प्रेमिसस एण्ड परफोरमेन्सिस, टीचिंग, पॉलिटिक्स वोल्यूम 14 (3–4)1989।
3. आर. पी. जो ाी तथा मंगलानी भारत में पंचायती राज, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर,।
4. अवध नारायण दुबे– नई पंचायतीराज व्यवस्था, मिश्रा ट्रेडिंग, वाराणसी।
5. सूर्यभान सिंह – ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज, कुरूक्षेत्र, नवम्बर 2005 (पत्रिका)।
6. विपिन कुमार सोनी– पंचायत प्रतिनिधियों में समस्याओं/दायित्वों के प्रति संवेदन ाीलता, कुरूक्षेत्र जून 2001, ग्रामीण विकास मंत्रालय, कृशि भवन, नई दिल्ली (पत्रिका)।
7. राजू एम, पंचायती राज इन केरला : प्राब्लम्बस एण्ड प्रास्पेक्टस कुरूक्षेत्र अप्रैल 1998 पेज 70, 71।
8. हजल डी. लामा, वोमेन इन लोकल गवर्नमेंट : ए. स्टडी ऑफ महाराश्ट्र कान्सेप्ट पाब्लिके ान, नई दिल्ली 1983।
9. कु. रंजना दुबे, अंजू वोमेन पार्लियामेंट, हर आनंद पब्लिके ान्स, नई दिल्ली 1994।
10. मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एण्ड इरिगे ान, डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलमेंट कमेटी आन पंचायती इन्स्टीट्यू ान, रिपोर्ट अ ाोक मेहता, लीडर, नई दिल्ली गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया प्रेस 1978।
11. कमेटी आन प्लान स्टडी फार कम्यूनिटी डेवलपमेंट एण्ड ने ानल इक्सटे ान सर्विस रिपोर्ट, बलवन्त राय मेहता, नई दिल्ली प्लानिंग कमी ान, 1957।

*****